अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2022 (GCMS 2022/2)(आरटीआई पोर्टल नं. 202134853365727) प्रदीप किराड जीपीए होल्डर हो श्रीमती रोशनी देवी पुत्री रसाला पत्नी रमेश चन्द्र निवासी मैसर्ज शिवालया कन्सट्रक्शन, कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, 359, सैक्टर–14, रोहतक (मोबाईल नं. 94165–53112)

21.03. 2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप किराड़ स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) एवं प्रभारी अधिकारी, डी.आर.ए. शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2021 को प्रभारी अधिकारी, डी.आर.ए. शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया और प्रभारी अधिकारी, डी. आर.ए. शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने उसे सही सूचना नहीं दी, इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी को दण्डित करते हुए उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाय कि अपीलार्थी ने राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2021 से निम्न सूचना चाही थीः

> प्रार्थी के नाना रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सनद क्रमांक 1074 दिनांक 04.06.1974 राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 19[illegible] [illegible] 5 एसपीएम में दी गई जमीन को रसाला उर्फ [illegible] स्वयं द्वारा अथवा उसकी मृत्यु उपरान्त वारिसान के द्वारा भूधारण (टीनेंसी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारों के तहत नई जमाबंदी में उक्त जमीन की भूमिधारक राजस्थान राज्य सरकार है, में दर्शाये गये नये काश्तकार (1) साहबराम पुत्र बहादरराम जाति हरिजन (पत्थर नम्बर 17/194 व 18/194, किला नम्बर 18/194) (2) जयदीप पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/4 व (3) तीजा देवी पत्नी ओमप्रकश हिस्सा 1/4 दर्शाया जाना कानूनी रूप से सही है अथवा न हीं, इस बाबत आवश्यक मार्गदर्शन करते हुए लिखित रूप से देकर सूचित करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रे ट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक डीआरए/आरटीआइ/2022/194 दिनांक 24.01.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री प्रदीप किराड़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के संबंध में वस्तुस्थिति की टिप्पणी निम्नानुसार है:

1. यह कि श्री प्रदीप किराड का सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाहने संबंधी प्रार्थना पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1323–24 दिनांक 22.11.2021 द्वारा डीआरए शाखा को प्राप्त हुआ था।

2. उक्त आरटीआई आवेदन पत्र मे चाही गयी सूचनाएं तहसील कार्यालय सादुलशहर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 1855 दिनांक 26.11.2021 से निर्धारित समयावधि में नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार, सादुलशहर को हस्तांतरित (Transfer) कर दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. आवेदनकर्त्ता (अपीलार्थी) श्री प्रदीप किराड़ एवं श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी श्रीगंगानगर को भी इस कार्यालय के पत्रांक 1856–57 दिनांक 26.11.2021 द्वारा इसकी सूचना दी जा चुकी है। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला राजस्व लेखा शाखा
कलक्ट्रेट,श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./आरटीआई/2021/3972 दिनांक 31.12.2021 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन के द्वारा अपने चक 5 एसपीएम में रसाला उर्फ रिसाला की भूमि के सम्बन्ध में चाही है, इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि :

1. चक 5एसपीएम में नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 02.01. 1997 द्वारा 19 बीघा रकबा रसाला वल्द हरफूल कौम धानक सा. गंगानगर खातेदार दर्ज हुआ है। नियमानुसार सही है।
2. रसाला वल्द हरफूल कौम धानक सा. गंगानगर द्वारा 11 बीघा भूमि का बेचान ... पुत्र बहादरराम जाति हरिजन सा. ... के नाम दर्ज हुआ है। जिसका इन्तकाल संख्या 173 दिनांक 06.12.1997 को स्वीकृत हुआ है। नियमानुसार सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. रसाला वल्द हरफूल की शेष रही 8 बीघा (20024 हे.) भूमि का विरास्तन इंतकाल संख 396 संरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। निर्वसीमती खातेदार फौत होने पर विरास्तन इन्तकाल किया जा सकता है।
4. वारिसों द्वारा अपने हिस्से तक बेचान किया जा सकता है।

चाही गई सूचना मार्गदर्शन प्रेषित है।

चाही गई सूचना व मार्गदर्शन प्रेषित है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर और ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested